श्री रामायण यादव, संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय :विधि कार्य विभागं
कमरा सं0 411 ए, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

अपील सं0 4/ जेएसएंडएलए(आरवाई)/आईसी /आरटीआई/2015 दिनांक 29/03/2016

के मामले में :
श्री ई. वीरेन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
बिहार सूचना का अधिकार मंच,
थील फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड,
अलंकार ज्वैलर्स के ऊपर, मुरादपुर,
पटना- 800004 (बिहार) .... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001 .... प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक 29.03.2016

श्री ई. वीरेन्द्र कुमार सिंह (यहां इसके पश्चात अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन अपने दिनांक 27/10/2015 के आवेदन-पत्र के तहत इस मंत्रालय से कुछ सूचना मांगी थी। विधि कार्य विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (यहां इसके पश्चात प्रत्यर्थी) ने अपने दिनांक 09/11/2015 के उत्तर के तहत अपीलार्थी को यह सूचित किया था कि उनके द्वारा मांगी गई समस्त सूचना विधि आयोग की वेबसाइट http://lawcommissionofindia.nic.in पर उपलब्ध है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 10/12/2016 को प्रस्तुत अपील दाखिल की गई है।

2. इस मामले में दिनांक 15/03/2016 को पूर्वाह्न 11:00 बजे कमरा संख्या 411-ए शास्त्री भवन, नई दिल्ली में सुनवाई निर्धारित की गई थी और इस बारे में दोनों पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया था और उन्हें सूचित किया गया था कि यदि सुनवाई में कोई भी एक पक्षकार उपस्थित नहीं हुआ तो भी आगे कार्यवाही की जाएगी और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामले का निपटान कर दिया जाएगा। अपीलार्थी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसके द्वारा अपनी अनुपस्थिति के बारे में कोई लिखित सूचना दी गई।

3. मैंने अपील के ज्ञापन और प्रत्यर्थी द्वारा दी गई सूचना को देख लिया है और मैं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए उत्तर का समर्थन करता हूं क्योंकि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ऐसी किसी सूचना को देने के लिए बाध्य नहीं है जो कि पहले से ही सार्वजनिक जानकारी में उपलब्ध है। तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है।

4. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है /व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील दाखिल कर सकता है ।

ह० ला०

(रामायण यादव)

संयुक्त सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. श्री ई. वीरेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, बिहार सूचना का अधिकार मंच, शील फाइनेंस कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, अलंकार ज्वैलर्स के ऊपर, मुरादपुर, पटना-800004(बिहार)
2. श्री वाई. के. सिंह, उप विधि सलाहकार एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

Ms. Navneet